14263 - क्या मोहरिम के लिए जूते पहनना जायज़ है ?

प्रश्न

कृपया आप मुझे बताएं कि क्या मोहरिम के लिए (एहराम की अवस्था में) दो पट्टी वाली चप्पल (सैंडल) पहनना जायज़ है। क्या मोहरिम जो जूते पहनता है उसके बारे में कोई निषेध आया है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

सुन्नत यह है कि पुरुष जूते पहनकर एहराम में प्रवेश करे, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णन किया गया है कि आप ने फरमाया : "तुम में से कोई भी व्यक्ति एक तहबंद, एक चादर और जूते पहनकर एहराम में प्रवेश करे।" अतः जूते पहनकर एहराम में प्रवेश करना बेहतर है, ताकि वह कांटों, गर्म रेत और ठंडी चीजों से बच सके। लेकिन अगर वह जूते पहनकर एराहम में प्रवेश नहीं करता है, तो उसपर कोई आपत्ति नहीं है।

देखें : फतावा इस्लामिया 2/232।

अरबी में "निआल" शब्द का अर्थ जूता होता है। फ़िरोज़ाबादी ने कहा : (निआल का मतलब है) जो ज़मीन से पैर की रक्षा करता है। अल-क़ामूस अल-मुहीत, पृष्ठ/1374.

इसलिए हर वह चीज़ जिसे निआल (जूता, चप्पल) माना जाता है, उसे पहनकर एहराहम में प्रवेश करने की अनुमति है। और जूते में मौजूद धागों (सिलाई) का कोई एतिबार नहीं है (यानी उससे कोई फर्क़ नहीं पड़ता)। और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर